न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 274/2025

1. ललित कुमार पुत्र श्री देवकीनन्दन जाति महाजन
2. सम्पत कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाट
   निवासीगण टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, गुढ़ागौड़जी दिनांक 17.01.2018 उनवानी सरकार बनाम ललित कुमार वगैरह मुकदमा संख्या 81/2017 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों सहित सेवामे पेश है कि अधीनस्थ अदालत का निर्णय दिनांक 17.01.2018 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 17.01.2018 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचन किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 17.01.2018 पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 17.01.2018 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 20.07.2017 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा किए गए निर्माण के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की गई है। अतः पटवारी हल्का को लिखा जावे कि निर्माण किस प्रकृति का है, जिसके बाद पटवारी हल्का को तहरीर जारी की गई लेकिन पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 10.10.2017 के अनुसार भू.अ.नि. गुढ़ागौड़जी को वास्ते जांच बाबत् आदेशित किया गया लेकिन इसके बावजूद प्रकरण में आदेश दिनांक 17.01.2018 तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, उक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ अदालत मातहत स्वयं पटवारी हल्का की रिपोर्ट बाबत् संतुष्ट नहीं था। इसके बावजूद आक्षेपित आदेश दिनांक 17.01.2018 किस आधार पर पारित किया गया, यह अंकित नहीं होने के कारण यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने निर्णय

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बिना माईण्ड अप्लाई किये सरसरी तौर से पारित किया है जो कि किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। प्रकरण में आक्षेपित आदेश सन् 2018 में पारित किया गया है जबकि कियान्विति बाबत् आदेश दिनांक 08.08.2025 को करीबन 7 साल 7 माह बाद जारी किया गया है, उक्तानुसार स्पष्ट है कि आदेश सरसरी तौर पर जारी किया गया है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण को जो नोटिस जारी किया गया है, वह उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से जारी किय गया है जबकि भूमि खसरा नं0 177 से अपीलार्थीगण का व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना दर्ज नहीं है अपितु भूमि खसरा नं0 177 से सटकर भूमि खसरा नं0 205 अवस्थित है तथा भूमि खसरा नं0 205 में सहारा शिक्षा समिति द्वारा संचालित गुढ़ा पब्लिक स्कूल का विद्यालय भवन अवस्थित है तथा अपीलार्थीगण सहारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सचिव है तथा भूमि खसरा नं0 177 की नई नक्शा ट्रैस तथा पुरानी नक्शा ट्रेस में अन्तर होने के कारण अपीलार्थीगण का अतिक्रमण भूमि खसरा नं0 177 में माना गया है जबकि पुरानी नक्शा शीट के अनुसार अपीलार्थीगण की संस्था का कब्जा भूमि खसरा न. 177 में नहीं है, उक्तानुसार भूमि का पुरानी नक्शा शीट के अनुसार पुनः नाप करवाकर पुनः आदेश पारित किया जाना उचित है। वैसे भी प्रकरण से अपीलार्थीगण के विपरित व्यक्तिगत हैसियत से जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है उक्तानुसार आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जो किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत के निर्णय से अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 177 पर संवत् 2074 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है जबकि सहारा शिक्षा समिति द्वारा संचालित गुढ़ा पब्लिक स्कूल अपने विद्यालय भवन में सन् 2006 में संचालित है तथा भूमि खसरा नं0 177 से होकर नियमित रूप से विद्यालय के करीबन 2 हजार सें अधिक छात्र आवागमन करते है। तथा भूमि खसरा नं0 177 पर ग्राम गुढ़ागौड़जी के राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण करके भूमि पर भवन तथा अन्यथा निर्माण कर लिया है जिसके कारण भूमि खसरा नं0 177 के सम्पूर्ण रकबे पर अतिक्रमण कर लिया है जिसके कारण भूमि खसरा नं0 177 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद राजनैतिक द्वेषतापूर्वक सन् 2018 में आदेश पारित करने के बाद अब करीबन 7 साल से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भूमि खसरा नं0 177 के वास्तविक तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमण को बचाने के लिए केवल मात्र अपीलार्थीगण के विपरित कार्यवाही की जा रही है, उक्तानुसार भूमि खसरा नं0 177 सम्पूर्ण से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही किया जाना उचित व न्यायसंगत है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थीगण के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थीगण के विपरीत झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थीगण को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपनी आदेशिका में इस तथ्य को स्वीकार किया है, उक्तानुसार बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 17.01.2018 उनवानी सरकार बनाम ललित कुमार वगैरह मुकदमा संख्या 81/2017 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हित में एवं अपीलार्थीगण के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 17.01.2018 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचन किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 17.01.2018 पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 17.01.2018 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 20.07.2017 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा किए गए निर्माण के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की गई है। अतः पटवारी हल्का को लिखा जावे कि निर्माण किस प्रकृति का है, जिसके बाद पटवारी हल्का को तहरीर जारी की गई लेकिन पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 10.10.2017 के अनुसार भू.अ.नि. गुढ़ागौड़जी को वास्ते जांच बाबत् आदेशित किया गया लेकिन इसके बावजूद प्रकरण में आदेश दिनांक 17.01.2018 तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई,

उक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ अदालत मातहत स्वयं पटवारी हल्का की रिपोर्ट बाबत् संतुष्ट नहीं था। इसके बावजूद आक्षेपित आदेश दिनांक 17.01.2018 किस आधार पर पारित किया गया, यह अंकित नहीं होने के कारण यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने निर्णय बिना माईण्ड अप्लाई किये सरसरी तौर से पारित किया है जो कि किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। प्रकरण में आक्षेपित आदेश सन् 2018 में पारित किया गया है जबकि कियान्विति बाबत् आदेश दिनांक 08.08.2025 को करीबन 7 साल 7 माह बाद जारी किया गया है, उक्तानुसार स्पष्ट है कि आदेश सरसरी तौर पर जारी किया गया है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण को जो नोटिस जारी किया गया है, वह उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से जारी किय गया है जबकि भूमि खसरा नं0 177 से अपीलार्थीगण का व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना दर्ज नहीं है अपितु भूमि खसरा नं0 177 से सटकर भूमि खसरा नं0 205 अवस्थित है तथा भूमि खसरा नं0 205 में सहारा शिक्षा समिति द्वारा संचालित गुढ़ा पब्लिक स्कूल का विद्यालय भवन अवस्थित है तथा अपीलार्थीगण सहारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सचिव है तथा भूमि खसरा नं0 177 की नई नक्शा ट्रेस तथा पुरानी नक्शा ट्रेस में अन्तर होने के कारण अपीलार्थीगण का अतिक्रमण भूमि खसरा नं0 177 में माना गया है जबकि पुरानी नक्शा शीट के अनुसार अपीलार्थीगण की संस्था का कब्जा भूमि खसरा न. 177 में नहीं है, उक्तानुसार भूमि का पुरानी नक्शा शीट के अनुसार पुनः नाप करवाकर पुनः आदेश पारित किया जाना उचित है। वैसे भी प्रकरण से अपीलार्थीगण के विपरित व्यक्तिगत हैसियत से जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है उक्तानुसार आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जो किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत के निर्णय से अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 177 पर संवत् 2074 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है जबकि सहारा शिक्षा समिति द्वारा संचालित गुढ़ा पब्लिक स्कूल अपने विद्यालय भवन में सन् 2006 में संचालित है तथा भूमि खसरा नं0 177 से होकर नियमित रूप से विद्यालय के करीबन 2 हजार सें अधिक छात्र आवागमन करते है। तथा भूमि खसरा नं0 177 पर ग्राम गुढ़ागौड़जी के राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण करके भूमि पर भवन तथा अन्यथा निर्माण कर लिया है जिसके कारण भूमि खसरा नं0 177 के सम्पूर्ण रकबे पर अतिक्रमण कर लिया है जिसके कारण भूमि खसरा नं0 177 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद राजनैतिक द्वेषतापूर्वक सन् 2018 में आदेश पारित करने के बाद अब करीबन 7 साल से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भूमि खसरा नं0 177 के वास्तविक तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमण को बचाने के लिए केवल मात्र अपीलार्थीगण के विपरित कार्यवाही की जा रही है, उक्तानुसार भूमि खसरा नं0 177 सम्पूर्ण से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही किया जाना उचित व न्यायसंगत है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थीगण के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थीगण के विपरीत झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थीगण को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपनी आदेशिका में इस तथ्य को स्वीकार किया है, उक्तानुसार बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 17.01.2018 उनवानी सरकार बनाम ललित कुमार वगैरह मुकदमा संख्या 81/2017 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हित में एवं अपीलार्थीगण के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम टोडी पटवार हल्का दूड़िया के भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नाला के 0.08 हैक्टर रकबे पर पक्का निर्माण कर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन नाला की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम टोडी पटवार हल्का दूड़िया के भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नाला के 0.08 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत ने विवादित प्रकरण में मौके की रिपोर्ट पुनः प्राप्त किये बगैर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करे बगैर आदेश पारित किया है। इस संबंध में रिकार्ड अदालत मातहत का अवलोकन किया जिससे अपीलान्ट के तर्क सही प्रतीत होते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 17.01.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मौके की पुनः जांच करते हुये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं